(77)

प्रपत्र 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।).

FORM-1

(for linear projects)

Government of *Uttarakhand* Office of the District Collector *Rudraprayag*

No-------- Dated02/06/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.094** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of San To Bajyun (15.300 Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Bajyun village in Rudraprayag tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.094hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure30.2.to30.3.annexure........

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;\

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~ Mangesh Ghildyal I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on dated 02/06/2017 at time 4:30PM at Rudraprayag in which application claiming rights in forest area measuring 7.094 hect for the construction of SAN TO BAJYUN forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Augustmuni sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag

Dated: 02/06/2017

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रूद्रप्रयाग

उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत सन से बज्यूण मोटर मार्ग (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे0 सिविल एवं सोयम, 0.00 वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 7.094 हे0 वन भूमि) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक 17/05/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक मुक्ता मिश्र, SDM (R), उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	कु. मुक्ता मिश्र	उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग	अध्यक्ष
2–	श्री [illegible] सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री [illegible] भट्ट	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्री कलम सिंह नेगी	बी0डी0सी0 क्षेत्र कुण्डा दानकोट	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत सन से बज्यूण मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.094 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत सन से बज्यूण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.094 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

कलम सिंह नेगी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
18 कुण्डा दानकोट
जनपद–रूद्रप्रयाग

स.स. क. अधि.
[illegible]

17/05/17
उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रूद्रप्रयाग
जनपद– रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17/05/17
उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रूद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जाखणी

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूंण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **7.094 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि**) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....जाखणी.... द्वारा दिनांक ....26-2-17.... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....जाखणी.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव मुहर सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	ग्राम प्रधान / सरपंच मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत जाखणी
वि0ख0 अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.5

दिनांक 26/2/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र सिंह
2	श्रीमती सावित्री देवी	सावित्री देवी
3	सरदार सिंह	Sardar Singh
4	श्रीमती राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी देवी
5	विपिन सिंह	विपिन सिंह
6	वीर सिंह	वीर सिंह
7	जीत सिंह	Jt Sow
8	भरत सिंह	[illegible]
9	विनोद सिंह	[illegible]
10	धाम सिंह	[illegible]
11	विक्रम सिंह	VKC[illegible]
12	हिम्मत सिंह	हिम्मत
13	शिशुपाल सिंह	शिशुपाल
14	शिवराज सिंह	शिव[illegible]
15	जीवा सिंह	[illegible]
16	बाल सिंह	[illegible]
17	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
18	अशोक सिंह	[illegible]

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह0 Shurv[illegible]
दि0 26-2-17
वि0ख0 अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम गौरणा
तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूंण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **7.094 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि**) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौरणा........ द्वारा दिनांक 20/11/2016....को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...गौरणा................ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मुहर सहित	प्रधान ग्राम पंचायत गोरणा ग्राम प्रधान / सरपंच मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/11.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	आदित्यराम सेमवाल	[illegible]
2	कन्हैया प्रसाद	[illegible]
3	गोपालदत्त सेमवाल	[illegible]
4	शम्भू प्रसाद सेमवाल	[illegible]
5	सर्वेश्वर प्रसाद सेमवाल	सर्वेश्वर प्रसाद
6	चन्द्रमोहन सेमवाल	[illegible]
7	गीता देवी	गीता देवी
8	गिरीश सेमवाल	[illegible]
9	जगदीश प्रसाद सेमवाल	[illegible]
10	सुबोध नौटियाल	[illegible]
11	केवल कृष्ण नौटियाल	[illegible]
12	श्रीमती एकादशी सेमवाल	एकादशी
13	संदीप सेमवाल	[illegible]
14	त्रिलोचन प्रसाद नौटियाल	Trilochan
15	भगवती प्रसाद नौटियाल	[illegible]
16	श्रीमती पुष्पा देवी नौटियाल	पुष्पा
17	श्रीमती कुसुम पुरोहित	कुसुम पुरोहित
18	श्रीमती सुनीता सेमवाल	सुनीता सेमवाल

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत
ह० कमलादेवी
दि०.......
वि०ख० अगस्त्यमुनि

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बजूण मोटर मार्ग (लम्बाई 29.400 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ——— डुंगरी
तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड मे जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 15.688 हे0 सिविल एवं सोयम 0.500 वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 16.188 हे0 वन भूमि) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुंगरी —— द्वारा दिनांक 15/11/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुंगरी .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत वि0अधिकारी

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत डुंगरी
19/11/2015

प्रपत्र 30.5

दिनांक 15/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डुंगरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अनसूया सिंह कुरोला	अनसूया
2	उम्मेद सिंह कुरोला	[illegible]
3	गब्बर सिंह कुरोला	गब्बर सिंह
4	मनोहर सिंह	[illegible]
5	गजेन्द्र सिंह	[illegible]
6	गजेन्द्र सिंह	
7	हिम्मत सिंह	[illegible]
8	रमेश सिंह	रमेश सिंह
9	विशाल सिंह	विशाल सिंह
10	वीर सिंह	वीर सिंह
11	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
12	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
13	भरत सिंह	भरत सिंह
14	लखपत सिंह	लखपत सिंह
15	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
16	रोशन लाल	[illegible]
17	राजू लाल	राजू लाल
18	प्रेम लाल	प्रेम लाल

प्रधान ग्राम पंचायत डुंगरी
ह० बलदेव लाल 15/11/2018
ग्राम प्रधान

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई ~~20.40~~ 15.30 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ——— धौलतरी, नरेडा, उमडाला (कोठेडा)

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 15.688 है0 सिविल एवं सोयम 0.500 वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 16.188 है0 वन भूमि) को **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धौलतरी, नरेडा, उमडाला (कोठेडा) द्वारा दिनांक 20/7/16 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धौलतरी, नरेडा, उमडाला (कोठेडा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/7/16...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...धौलछारी, नरेडा, अमडाला, (कमेडा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पानसिंह पुण्डीर S/O श्री [illegible]	[illegible]
2	राजपाल [illegible] S/O [illegible]	[illegible]
3	दानसिंह SO झगड़ासिंह	दानसिंह
4	राकेश सिंह SO	RS
5	बलवन्त सिंह SO भगतसिंह	बलवन्तसिंह
6	प्रेमसिंह SO दलीपसिंह	प्रेमसिंह
7	[illegible] SO श्री स्व. जयराम	[illegible]
8	शिवचरणसिंह S/O- स्व. गुलाबसिंह	[illegible]
9	भरत सिंह S/O स्व कुँवरसिंह	[illegible]
10	जसपालसिंह S/. स्व. नौरतसिंह	[illegible]
11	रणजीतसिंह S/, स्व. [illegible]	Rs.
12	सतेसिंह (60)	[illegible]
13	[illegible]	S.S.Rawat
14	सुनील सिंह	S.Rana
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	
17	दुर्गा सिंह	[illegible]
18	शिशुपालसिंह	
	[illegible]	[illegible]

ग्राम प्रधान

रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
दिनेश सिंह	[signature]
ऊषा देवी	[signature]
सुमन राणा	Suman Rana
कान्ता देवी	हरीश सिंह
सुनीता देवी	बीरपाल सिंह
सुदामा देवी	सुरेन्द्र सिंह
जीतपाल सिंह राणा [signature]	बलवीर सिंह
बलवीर सिंह	
माहेश्वरी देवी	धन सिंह
सुदामा देवी	गजपाल सिंह
लक्ष्मी देवी	सुभाष सिंह
दशमी देवी	भवान सिंह
किरन देवी	जगदीश सिंह
श्रीमती देवी	दयाल सिंह
कृष्णा देवी	उम्मेद सिंह
संगीता देवी	हर्षवर्धन सिंह
संगीता देवी	राजेन्द्र सिंह
सोलप सिंह	सोलप सिंह
समोद्रा ~~सिंह~~ देवी	बलवीर सिंह
रामेश्वरी देवी	कुन्दन सिंह
[signature]	[signature]
प्रदीप सिंह	प्रदीप सिंह

Kamta

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:—	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लोदला

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे0 सिविल सोयम वन भूमि,) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लोदला द्वारा दिनांक 20/11/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0

ग्राम सचिव

प्रपत्र –30.1

दिनांक 20/11/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लोदला

क्र0सं0	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री चन्द्र शेखर नौटियाल	चन्द्रशेखर नौटियाल
(2)	मनोरमा देवी नौटियाल	[illegible]
(3)	आशीष प्रसाद नौटियाल	[illegible]
(4)	उमेश चंद्र नौटियाल	[illegible]
(5)	मुकेश नौटियाल	[illegible]
(6)	कुसुम देवी पुरोहित	[illegible]
(7)	आदित्य राम सेमवाल	[illegible]
(8)	सर्वेश्वरी देवी सेमवाल	सर्वेश्वरी देवी
(9)	सुमित सेमवाल	[illegible]
(10)	अंकित सेमवाल	[illegible]
(11)	महेश्वर प्रसाद नौटियाल	[illegible]
(12)	गीता देवी नौटियाल	गीता देवी
(13)	गीता राम सेमवाल	गीताराम
(14)	एकादशी सेमवाल	एकादशी
(15)	गौरव सेमवाल	गौरव
(16)	चंद्रमोहन सेमवाल	[illegible]
(17)	गुड्डी देवी सेमवाल	गुड्डी दे.
(18)	इंद्र मोहन सेमवाल	[illegible]
(19)	बि[illegible] पुरोहित	[illegible]
(20)	नूरी पुरोहित	[illegible]
(21)	गोपाल ~~[illegible]~~ सेमवाल	[illegible]
(22)	सुनीता देवी सेमवाल	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत लोदला
कमलादेवी
17/3/2015
वि०ख० अगस्त्यमुनि, रु०प्र०

प्रधान ग्राम पंचायत लोदला
कमलादेवी
17/3/2015
वि०ख० अगस्त्यमुनि, रु०प्र०

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चामक

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूंण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **7.094 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि**) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चामक द्वारा दिनांक 20/11/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......चामक...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ऊखीमठ

2-3-17

ग्राम पंचायत चामक

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सरपंच वन पंचायत चामक
ह0
दि0

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/11/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कुँवरसिंह नेगी	[illegible]
2	" परशुराम सेमवाल	PS
3	" सर्वेश्वर चमोला	[illegible]
4	" विजेन्द्र सिंह नेगी	[illegible]
5	" रामेश्वरप्रसाद सेमवाल	[illegible]
6	" नरोत्तमप्रसाद भट्ट	[illegible]
7	" शम्भु प्रसाद सेमवाल	शम्भु प्रसाद
8	" श्रीकृष्ण भट्ट	कृष्णा
9	" राकेशचन्द्र चमोला	राकेश
10	" चन्द्रशेखर सेमवाल	[illegible]
11	" बृजमोहन सेमवाल	[illegible]
12	श्रीमती मंगलादेवी नेगी	मगलादेवी
13	" जैसी देवी "	जैसी देवी
14	" सुशीला देवी सेमवाल	सुशीला देवी
15	श्री गिरीशचन्द्र चमोला	गिरीश चमोला
16	" वीरसिंह कुटेला	वीरसिंह
17	" जीतसिंह कुटेला	जीतसिंह
18	" प्रकाश लाल	प्रकाश

सरपंच वन पंचायत ... ह0 [illegible] दि0........ जनपद-रुद्रप्रयाग

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ... अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
PS
2-3-17

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम बज्यूण
तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूंण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **7.094 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि**) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बज्यूण.......... द्वारा दिनांक 20/11/2016...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....बज्यूण.................. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सुदर्शन सिंह
प्रधान ग्राम पंचायत बज्यूण
जनपद रूद्रप्रयाग

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/11/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रानी देवी	रानी देवी
2	दीपा देवी	दीपा देवी
3	प्रमिला देवी	प्रमिला देवी
4	मंजू देवी	मंजू देवी
5	सुशीला देवी	सुशीला देवी
6	अनीता देवी	अनीता देवी
7	उर्मिला देवी	उर्मिला देवी
8	आशा देवी	आशा देवी
9	कस्तूरा देवी	कस्तूरा देवी
10	रजनी देवी	Rajani
11	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र सिंह
12	कैलाश सिंह	Kailash
13	सुन्दन सिंह	सन्तन सिंह
14	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
15	प्रकाश सिंह	[illegible]
16	सूरवीर सिंह	सूरवीर सिंह
17	शिवशरण सिंह	शिवशरण सिंह
18	जितेन्द्र सिंह	जितेन्द्र सिंह

ग्राम प्रधान

सरपंच
ग्राम पं० बजूण
जनपद रुद्रप्रयाग
सुदर्शन सिंह
ग्राम - बजूण

प्रधान ग्राम पंचायत बजूण
वि० ख० अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गढमिल

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **सन से बज्यूण मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे0 सिविल सोयम वन भूमि,) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गढमिल द्वारा दिनांक 13/7/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव।
मुहर सहित

13/7/15
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 13/7/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गढ़मिल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीप सिंह रावत —	[illegible]
2	अनुसुया सिंह —	[illegible]
3	पवनसिंह —	Pawansingh
4	दिग्पाल सिंह —	दिग्पाल सिंह
5	धीर सिंह —	धीर सिंह
6	राकेश सिंह —	[illegible]
7	कुन्दन सिंह —	कुन्दन सिंह
8	गोपाल सिंह —	गोपाल सिंह
9	पुष्कर सिंह —	पुष्कर सिंह
10	मदन सिंह —	[illegible]
11	पूरण सिंह —	पूरण सिंह
12	मालती देवी —	मालती देवी
13	सरला देवी —	सरला देवी
14	हरीश सिंह —	हरीश बर्तवाल
15	बीरेन्द्र सिंह —	[illegible]
16	देवेन्द्र सिंह —	देवेन्द्र सिंह
17	योगेश्वर सिंह —	योगेश्वर बर्तवाल
18	लक्ष्मण —	[illegible]

ग्राम पंचायत गढ़मिल
अनुसूया सिंह
13/7/15

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित